

:-विज्ञप्ति :-

विषय:- फार्म मीसिंग के सम्बन्ध में

उत्तर प्रदेश व्यापार कर नियमावली, 1948 के नियम-12बी (20) एवं 25बी (12) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकार का प्रयोग करते हुये मूल्य संवर्धित कर अधिनियम-2008 की धारा-81 को दृष्टिगत रखते हुये सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यापारियों से उनके नाम के सम्मुख निम्नलिखित फार्म मीसिंग की सूचना प्राप्त हुई है, अतः इन फार्मों का प्रयोग अवैध होगा :-

क्रमांक	व्यापारी / फार्म का नाम व पता	फार्म का प्रकार/संख्या	अवैध घोषित होने का कारण	संख्या
1-	सर्वश्री यश पेपर लि०, दर्शननगर, फैजाबाद। टिन- 09421700138	फार्म-ई-1 022075	खोने के कारण	01
2-	सर्वश्री डी०जे०स्टील, 19/10ए, खतैना रोड, लोहामण्डी, आगरा। टिन- 09502300479	फार्म-डी 102337	खोने के कारण	01
3-	सर्वश्री नवीन आयरन फाउन्ड्री, दिल्ली रोड, शामली। टिन- 09673300356	फार्म-3बी 459398 से 459402 तक	खोने के कारण	05
4-	सर्वश्री रघुनाथ लक्ष्मी नारायण स्पाइसेस प्रा० लि०, के-47/2, विशेश्वरगंज, वाराणसी। टिन- 09881900561	फार्म -एफ 022882, 0354228, 0354229, 0354230	खोने के कारण	04
5-	सर्वश्री सुनील एगो मिल्स, आगरा रोड, मैनपुरी। टिन- 09903700549	फार्म- 3ग(1) ईई पी यू/ 0472381- 150720	खोने के कारण	01
6-	सर्वश्री ज्वा० कमि० (कार्य) वा० क० मुजफ्फरनगर सम्भाग मुजफ्फरनगर के पत्र सं०-2069 दिनांक 30-11-2013 के अनुसार	प्रपत्र-घ 076357 एवं 076437	खोने के कारण	02
7-	सर्वश्री राजपूत रोलर फ्लोर मिल्स लि० इण्डस्ट्रीयल एरिया मुमताजनगर, फैजाबाद टिन-09921800894	फार्म-3 ख 088158, 088425	खोने के कारण	02

an
(योगेन्द्र कुमार)

एडीशनल कमिशनर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अधीक्षण मुद्रण लेखन सामग्री, 30प्र0 इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा गजट की प्रतिलिपि इस कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें ।
- 2- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- 3- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ ।
- 4- समस्त आयुक्त व्यापार कर/ वैट/ वाणिज्य कर, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, भारत सरकार के सभी राज्य एवं केन्द्र शासित संघों को ।
- 5- महालेखाकार , उत्तर प्रदेश , 171ए, अशोक नगर, इलाहाबाद ।
- 6- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें ।
- 7- समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य पालक) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश को दो प्रतियों के साथ प्रेषित कि इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड पर लगायें तथा सभी व्यापारिक संघों को भी अपने स्तर से अवगत कराने का कष्ट करें ।
- 8- समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/ अपील) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 9- समस्त डिप्टी कमिश्नर , वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
- 10- ज्वाइंट कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद , लखनऊ ।
- 11- समस्त असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी चाहें जिस कार्य में लगे हो ।
- 12- समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय ।
- 13- सूचना केन्द्र को 5 अतिरिक्त प्रतियां ।
- 14- मैनुअल अनुभाग वाणिज्य कर मुख्यालय को 5 प्रतियां एवं विधि अनुभाग को 15 अतिरिक्त प्रतियां

(अजय प्रताप सिंह)

असिस्टेंट कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
मुख्यालय ।